//कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग//

वॉटर ए.टी.एम. स्थापना हेतु नियम एवं शर्तें :–

1. वॉटर ए.टी.एम. स्थापना हेतु सार्वजनिक जगह नगर पालिक निगम, दुर्ग द्वारा फर्म को उपलब्ध कराई जावेगी।
2. स्थल पर मशीन हेतु आवश्यक निर्माण/संधारण फर्म को स्वयं कराना होगा। जिस पर उसका कोई स्वामित्व नही होगा।
3. स्थल पर विद्युत संयोजन फर्म को स्वयं कराना होगा एवं इसका मासिक बिल स्वयं जमा करना होगा।
4. ए.टी.एम. हेतु आवश्यक पानी निगम द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा।
5. पानी की गुणवत्ता का परीक्षण शासकीय विभाग (पी.एच.ई.) के माध्यम से कराना होगा।
6. फर्म, नागरिको को **Filter ozonied water, Cooled Water** प्रदाय करेगी। इस हेतु मानक अनुसार आवश्यक उपकरण लगायेगी तथा उसकी क्षमता 500 लीटर होगी।
7. ए.टी.एम. मशीन का संधारण **24 x 7** की तर्ज पर करना होगा।
8. उपरोक्त ए.टी.एम. हेतु निम्न स्थल प्रस्तावित है नया बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन, जिला कार्यालय, तहसील, पटेल चौक, इंदिरा मार्केट, बोरसी हॉट बाजार, महिला समृद्धि बाजार तथा अन्य आवश्यक स्थानों पर।
9. उपरोक्त सुविधाओं के एवज में निगम को अधिकतम आफरदाता को कार्य आबंटन में प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
10. विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
11. कार्य की कार्यावधि 06 वर्ष रहेगी। तदपश्चात् विधिवत् चालू अवस्था में निगम को हस्तांतरित करना होगा।
12. फर्म नागरिको को 01 रू प्रति लीटर की दर से **Filter water** उपलब्ध कराना होगा।
13. मशीन से प्राप्त राशि फर्म स्वयं रखेगी।
14. ए.टी.एम. लगाने संबंधी अनुभवी निविदाकर्ता को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
15. वॉटर ए.टी.एम. की स्थापना संस्था में एक सप्ताह के भीतर किया जाना होगा।
16. उपरोक्त कार्य पूर्ण हो जाने पर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही राशि का भुगतान चेक के माध्यम से किया जावेगा।
17. इस्टोलेशन का समस्त खर्च आप के द्वारा वहन किया जायेगा।
18. उपरोक्त शर्तो के आधार पर इच्दुक फर्मो को रूचि के अभिव्यक्ति के तहत आफर आमंत्रित किया जाता है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग